



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255714
CG-DL-E-25072024-255714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2783]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2783]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

का.आ. 2920 (अ).— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 और 2011) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, रांची, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, रांची, झारखण्ड-834002 कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा, अधिसूचित करती है।

[फा.सं.-11014/04/2021- रा.भा.(का.)]

सत्यजित मिश्रा ,संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, 23rd July, 2024

S.O. 2920(E). – In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (As Amended, 1987, 2007 and 2011) the Central Government, hereby, notifies Regional Office Ranchi, 2nd floor, Headquarter, Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand-834002 under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, where more than 80% officials have acquired the working knowledge of Hindi.

**[F.No. 11014/04/2021- RA.BHA.(KA.)]
SATYAJIT MISHRA Jt. Secy.**